भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3475

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी

3475. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
डॉ.संजय जायसवालः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी आईएफएससी) की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान जीआईएफटी आईएफएससी के भीतर कार्यशील घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की संख्या सहित बैंकिंग, बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाओं के विस्तार में हुई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है

(घ) क्या जीआईएफटी आईएफएससी को एक वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जीआईएफटी आईएफएससी की यह वृद्धि भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में किस प्रकार योगदान दे रही है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)* एवं (ख)*: हाँ, सरकार समय-समय पर जीआईएफटी आईएफएससी की प्रगति की समीक्षा करती है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत आईएफएससी के लिए स्थापित किए गए एकीकृत विनियामक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी' (आईएफएससीए) में भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीआईएफटी आईएफएससी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में लगातार विकसित करने के लिए, प्राधिकरण की बैठकों और हितधारकों के साथ वार्ता के ज़रिए भी इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ग): आईएफएससीए द्वारा किए गए पंजीकरण/प्राधिकरण[1] की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च 2021 तक 110 से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 1193 हो गई है। पिछले पांच वर्षों में, जीआईएफटी आईएफएससी ने बैंकिंग, बीमा, आस्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिनका 31 मार्च 2026 तक का विवरण नीचे दिया गया है -

	आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ	**निधि प्रबंधन इकाइयाँ**	**बीमा इकाइयाँ**	**अन्य वित्तीय सेवा** पंजीकरण**	**कुल पंजीकरण**
मार्च -21	15	0	18	77	110
मार्च -22	19	45	19	172	255
मार्च -23	22	65	22	274	383
मार्च -24	27	104	34	428	593
मार्च -25	29	162	45	636	872
मार्च -26	37	217	70	869	1193

नोट:

** अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं में बाजार अवसंरचना संस्थान, फिनटेक कंपनियाँ, वित्त कंपनियाँ आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 31 मार्च 2026 तक जीआईएफटी आईएफएससी में 652 इकाइयाँ थीं, जिनमें से 487 घरेलू इकाइयाँ और 165 विदेशी इकाइयाँ थीं।

(घ), (ङ) और (च): पिछले 5 सालों में, भारत सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी - इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (जीआईएफटी आईएफएससी) के विकास के लिए कई प्रगतिशील नीतिगत उपाय किए हैं इनमें भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स (आईएफएससी) के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत वैधानिक विनियामक के तौर पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) की स्थापना; इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) एक्ट, 2019 की धारा 3(1) के तहत नवीन वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं (जैसे एयरक्राफ्ट और शिप लीज़िंग, ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स) को अधिसूचित करना; और आयकर अधिनियम के तहत मंज़ूरी मिलने की तारीख से पहले 25 वर्षों में से लगातार 20 वर्षों तक आईएफएससी यूनिट्स के लिए टैक्स हॉलिडे आदि शामिल है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी - इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी आईएफएससी) व्यापार में सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 के तहत विकास आयुक्त की शक्तियां इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) को सौंप दी हैं और आईएफएससी यूनिट्स के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम (एसडबल्यूआईटीएस) शुरू करने में मदद की है। इसके अलावा, जीआईएफटी आईएफएससी के विकास ने भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पारिस्थिति की तंत्र को मज़बूत किया है। इसने वित्तीय सेवाओं को देश के भीतर शुरू करने (ऑनशोरिंग), घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को आकर्षित करने, पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने, सीमा-पार वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने और जीआईएफटी आईएफएससी के ज़रिए वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद की है।
